Sh. Susheel HEO
Y/s
19/7/21

संख्याःएच0टी0सी0–एफ(1)–4/2017
हिमाचल प्रदेश सरकार
उद्यान विभाग

प्रेषक

सचिव (उद्यान)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला

प्रेषित

निदेशक उद्यान विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–02

दिनांक, शिमला–02 17-07-2021

विषयः हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2021–22 के अन्तर्गत नींबू प्रजाति के फलों जैसे कीनू, मालटा, संतरा तथा गलगल के प्रोक्योरमैंट हेतु मंडी मध्यरथता योजना।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके पत्र सं0: 8–4–2018–Udyan(M) दिनांक 30.05.2021 के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2021–22 में नींबू प्रजाति के फलों जैसे कीनू, मालटा, संतरा तथा गलगल के प्रोक्योरमैंट हेतु मंडी मध्यस्थता योजना लागू करने हेतु सरकार की स्वीकृति निम्न रुप में प्रदान करने का निदेश हुआ हैः–

i) योजना के अन्तर्गत 500 मी0 टन कीनू/मालटा/संतरा का प्रोक्योरमैंट ₹ 8.50 (श्रेणी–बी) व ₹ 8.00 (श्रेणी–सी) प्रति कि0 ग्राम तथा 100 मी0 टन गलगल का प्रोक्योरमैंट ₹ 7.00 प्रति कि0ग्रा0 की दर से किया जाएगा।

ii) कीनू/मालटा/संतरा के लिए ₹ 2.65 प्रति कि0 ग्राम तथा गलगल के लिए ₹ 1.00 प्रति कि0 ग्राम की दर से हैंडलिग चार्जेज दिये जाएंगे।

iii) कल्पित विक्रय वसूली को कीनू/मालटा/संतरा के लिए ₹ 3.50 प्रति कि0 ग्राम तथा गलगल के लिए ₹ 1.50 प्रति कि0 ग्राम रखा जाएगा।

iv) योजना के अन्तर्गत कुल 54 प्रोक्योरमैंट केन्द्र मांग के आधार पर खोले जाएंगे तथा जरूरत पड़ने पर बाद में और प्रोक्योरमैंट केन्द्र जरूरत के आधार पर खोले जाएंगे जिनका संचालन एच0पी0एम0सी0 व हिमफैड अपने स्टॉफ द्वारा ही करेंगे।

जारी है...

v) भण्डारन व यातायात के नुकसान इत्यादि की भरपाई को ध्यान में रखते हुए योजना के अन्तर्गत इस वर्ष भी फलों का प्रोक्योरमैंट 2.5 प्रतिशत अधिक फल सहित किया जाएगा।

vi) यह योजना राज्य में 21–11–2021 से 15–02–2022 तक लागू की जाएगी।

आपसे अनुरोध है कि इस निर्णय का व्यापक प्रचार करें ताकि राज्य के फल उत्पादक इस योजना का अधिक से अधिक लाभ ले सकें।

भवदीया,

निशा

(निशा कश्यप)
अवर सचिव (उद्यान)
हिमाचल प्रदेश सरकार
दू0सं0: 0177–2625346

पृष्ठांकनः उपरोक्त दिनांक, शिमला–171002
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. अवर सचिव (सहकारिता), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली–110001
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), हि0 प्र0 सरकार, शिमला–02
3. सचिव (सामान्य प्रशासन), हिमाचल प्रदेश सरकार को माननीय मंत्रीपरिषद की दिनांक 07.07.2021 की बैठक में चर्चा की गई मद संख्याः 32 के संदर्भ में।
4. प्रबन्ध निदेशक, एच0पी0एम0सी0, निगम विहार, शिमला–02
5. प्रबन्ध निदेशक, हिमफैड, शिमला–03
6. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क हि0प्र0, शिमला–02
7. निजि सचिव, उद्यान मंत्री, हि0 प्र0, शिमला–02
8. गार्ड नस्ति।

(निशा कश्यप)
अवर सचिव (उद्यान)
हिमाचल प्रदेश सरकार